उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 27.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 27.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी ।

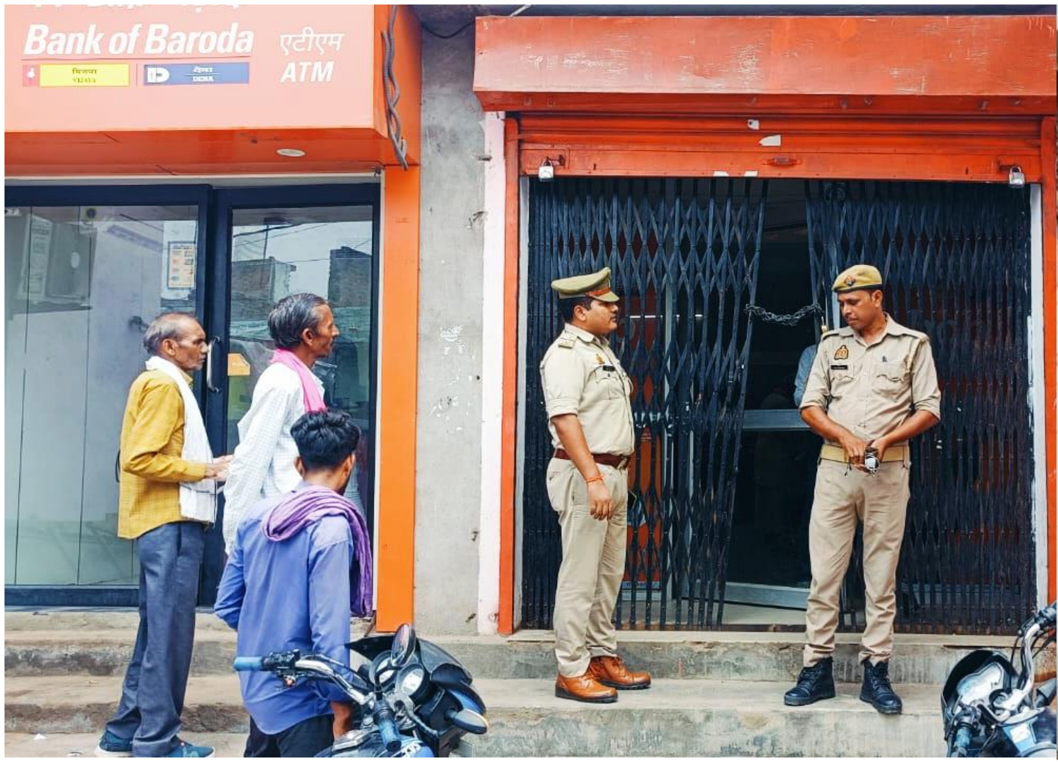

थाना कबरई की पुलिस टीम ने
एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 26.06.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 कमलाकान्त द्विवेदी के द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त रामदेव सिंह पुत्र रामऔतार सिंह उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम चाँदी थाना सिसोलर जिला हमीरपुर सम्बन्धित मु0नं0 2141/2011 केश नं0 602141/2011 माननीय न्यायालय महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट के आधार पर ग्राम चाँदी थाना सिसोलर जिला हमीरपुर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त रामदेव सिंह पुत्र रामऔतार सिंह उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम चाँदी थाना सिसोलर जिला हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 कमलाकान्त द्विवेदी

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने
03 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.06.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 आशिक अली के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-285/2024 धारा 323/379/411 भादवि से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्तगण 1. विकास अहिरवार पुत्र बालादीन उम्र 18 वर्ष 2. राजेश कुमार अहिरवार पुत्र लल्लू अहिरवार उम्र 40 वर्ष 3. किशन (कबाड़ी) पुत्र देवीदीन को मय लोहे का सामान, बैटरा व 6000 रुपये नगद बरामद करते हुये लौड़ी तिगैला रोड से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. विकास अहिरवार पुत्र बालादीन उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम पुरा थाना लवकुश नगर जिला छतरपुर म0प्र0
2. राजेश कुमार पुत्र लल्लू अहिरवार उम्र 40 वर्ष निवासी लौड़ी तिगैला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
3. किशन (कबाड़ी) पुत्र देवीदीन निवासी सुभाष नगर लौड़ी तिगैला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 आशिक अली
2. हे0का0 ब्रजेश सिंह तोमर
3. का0 मुकेश सिंह

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 27.06.2024
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध रुप से संचालित जुआ/सट्टा की प्रभावी रोकथाम हेतु ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 26.06.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम, व श्री रविकान्त गौड, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री गोपाल चन्द्र कनौजिया द्वारा टीम गठित के व0उ0नि0 अरविन्द कुमार उपाध्याय मय उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा द्वारा 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. सिद्ध गोपाल पुत्र अर्जुन प्रसाद उम्र करीब 52 वर्ष 2. रज्जू पुत्र चुनुवाद उम्र करीब 50 वर्ष 3. रोशन पुत्र बन्शीधर उम्र करीब 40 वर्ष नि0गण ग्राम बराय थाना खरेला जनपद महोबा को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुये ग्राम बराय थाना खरेला जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सिद्ध गोपाल पुत्र अर्जुन प्रसाद उम्र करीब 52 वर्ष, 2. रज्जू पुत्र चुनुवाद उम्र करीब 50 वर्ष, 3. रोशन पुत्र बन्शीधर उम्र करीब 40 वर्ष नि0गण ग्राम बराय थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 अरविन्द कुमार उपाध्याय
2.उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा
3. हे0का0 योगेन्द्र

विवरण माल बरामदगी-

मालफड़-630 रुपये, जामा तलाशी 275 रुपये व 52 अदद ताश पत्ते ।